न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 01/2023 प्रार्थनापत्र (आर्बीट्रेशन)

1. श्री बंशीलाल पिता शंकरलाल जी मीणा, निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नी स्व. बाबूलाल जी मीणा निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. सुश्री चंचल पुत्री स्व. बाबूलाल जी मीणा जरिये माता एवं संरक्षक श्रीमती कमला निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री रितिक पुत्र स्व. बाबूलाल जी मीणा जरिये माता एवं संरक्षक श्रीमती कमला निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
5. सुश्री खुशबु पुत्री स्व. बाबूलाल जी मीणा जरिये माता एवं संरक्षक श्रीमती कमला निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री हेमु पुत्र स्व. बाबूलाल जी मीणा जरिये माता एवं संरक्षक श्रीमती कमला निवासी– पड़ियाकाड़, तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर (राज.)
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये प्रभारी अधिकारी, सरस डेयरी के पास, गोवर्धन विलास, उदयपुर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधि. 2013 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 02.06.16 बसिलसिले पत्रावली/एनएचएआई/छःलेन/ऋषभदेव/खेरवाडा अवार्ड संख्या 31/2016

उपस्थितिः– श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री पी.सी.जैन, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः– 15/04/2024

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधि. 2013 विरूद्ध अवार्ड संख्या 31/2016 अवार्ड दिनांक 02.06.2016 प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने प्र.स. 13/19 जरिये दिनांक 13.12.2021 से निर्णय पारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 को रिव्यु करने हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपने प्र.स. 05/22 से दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में

जिला कलक्टर
उदयपुर

पारित प्र.स. 13/19 निर्णय दिनांक 13.12.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश पारित किये गये।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के क्रम में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्व प्रकरण संख्या 13/19 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा में प्रार्थी संख्या 1 एवं उसके भाई स्व. बाबूलाल के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी नंबर 784 रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि स्थित थी, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 2/3 व स्व. बाबूलाल का 1/3 हिस्सा था। बाबूलाल का निधन हो जाने से प्रार्थी संख्या 2 से 6 को उत्तराधिकारी होने से बाबूलाल के स्थान पर पक्षकार बने। अवाप्ति कार्यवाही के दौरान उक्त अवार्ड जारी होने पर उसमें हुई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 21.07.2016 को लिखित में एतराज पत्र मय रूपान्तरण आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की। विपक्षी संख्या 2 को भी लिखा, परन्तु उनके द्वारा हल्का आबादी की भूमि की दर से मुआवजा अदा करने के बजाय कृषि भूमि की दर से मुआवजा अदा करने की कार्यवाही की, जिस पर प्रार्थीगण ने अवार्ड स्वीकार नहीं किया और अवार्ड राशि 3,29,940/– रुपये का मुआवजा प्राथीगण ने लेने से इन्कार कर दिया, जो आज तक वितरीत नहीं हुआ। ऐसे में अवाप्तशुदा भूमि का सही मूल्यांकन कर अवार्ड संशोधित कराये जाने बाबत् निवेदन किया, जिस पर बाद सुनवाई आप न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का दिनांक 11.10.2021 को संपरिवर्तन आवासीय मे होना माना, लेकिन बिना किसी आपत्ति के अपने आदेश में संपरिवर्तन आदेश की शर्त के अनुसार दो वर्ष के भीतर भूमि का संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए उपयोग करने में असफल रहने पर अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जायेगी। उक्त शर्त को आधार मान प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।जिस भूमि को आप न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन आदेश की शर्त के तहत संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होना मानकर आदेश पारित किया उसी भूमि पर हुए निर्माण बाबत् विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को पूर्व में निर्मित संरचना का अवार्ड संख्या 56/2016 दिनांक 15.09.2016 का भुगतान किया गया, जिसमें प्रार्थीगण को नियमानुसार 7,62,777/– रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार जिस भूमि का आप न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन प्रयोजन होना नहीं माना, उस बाबत् पूर्व अवार्ड से स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण किया हुआ था। उक्त तथ्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया, जबकि इस संबंध में प्रार्थीगण के पास इसी एजेन्सी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि निर्माण होना मानकर अवार्ड पारित किया था। उक्त त्रुटि फेस ऑन रिकार्ड होकर इस पर प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे में उक्त तथ्य को स्पष्ट करने हेतु उक्त प्रार्थना की इस

जिला कलक्टर
उदयपुर

बिन्दु पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 भूमि, अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम स्वीकार फरमा प्रार्थीगण को जारी अवार्ड संशोधित करने का आदेश प्रदान फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण पक्षकारान को सुना जाकर रेकर्ड, अवाप्ति कार्यवाही, मौके की स्थिति आदि के संबंध में संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन करते हुए आप न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है और उक्त आदेश पारित होने के पश्चात् किसी भी तरह की कार्यवाही की क्षेत्राधिकारिता आप न्यायालय में निहित ही नहीं रहती है मात्र गणना या लिपिकीय चूक बाबत् दुरुस्ती विधि अनुसार अनुज्ञेय है, अन्य किसी भी आधार पर पुनरावलोकन अपेक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधिक प्रावधानुसार प्रथम दृष्ट्या निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पारित अवार्ड आदेश के अभिवचनों का उल्लेख किया गया है जो कि एक न्यायिक कार्यवाही है और पारित मुआवजा आदेश की वैधानिकता का परिक्षण हस्तगत कार्यवाही से अपेक्षित नहीं है। मूल प्रकरण की सुनवाई में न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन करते हुए दोनों पक्षों को सविस्तार सुना जाकर आदेश पारित किया गया है और उक्त अवार्ड आदेश में संशोधन का अधिकार आर्बीट्रेटर में निहित न होने से उक्त प्रार्थना पत्र अपास्त योग्य है। साक्ष्य का पुनर्विवेचन या नई साक्ष्य या नव अभिलेख बाबत् उजर–ऐतराज या आपत्ति उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौति देने की अधिकारिता प्रार्थी में न होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है वह विधिवत हैं। उक्त प्रकरण रिव्यू की परिभाषा में नही आता है। रिव्यू का स्कोप मात्र लिपिकीय त्रुटि तक सीमित है, जिसमें फैसले को नये सिरे से परिभाषित नही किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 को यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल कर सकता है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय की एक–एक प्रति दोनो पक्षकारों को नियमानुसार प्रदान की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलटर,
उदयपुर